न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश, पाक्सो, क.सं.2 प्रयागराज।
पीठासीन :– अंजू कनौजिया (उ.प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा)

फौजदारी अपील संख्या– 97/2026

UPAD010067582026

AB जरिए चाचा संरक्षक रिंकू पुत्र स्व० मीतई लाल निवासी– ग्राम कोतारी हेतापट्टी थाना– झूंसी, जनपद– प्रयागराज । .....अपीलार्थी

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति प्रयागराज
3. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज
4. विपिन कुमार पाण्डेय पुत्र स्व० राज नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम चकचन्दूपुर भरौहा थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज ।

.....विपक्षीगण

अ.सं.–225/25

धारा– 137 (2), 87, 65(2), 142, 351(3), बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट

थाना–औद्योगिक क्षेत्र, जनपद– प्रयागराज

निर्णय

1. यह फौजदारी अपील, किशोर अपचारी AB की ओर से उसके चाचा/नैसर्गिक संरक्षक रिंकू द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व, अपराध संख्या–225/2025, अन्तर्गत धारा– 137(2), 87, 65(2), 142, 351(3), बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना–औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज के मामले में धारा 101 किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा किशोर अपचारी AB के संबध में पारित जमानत/सुपुर्दगी प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने संबधित पारित आदेश, दिनांकित 22.05.2026 से, क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

2. प्रस्तुत दाण्डिक अपील, में अपीलार्थी द्वारा यह आधार लिया गया है कि अपीलार्थी के भतीजे के विरूद्ध दिनांक 27.12.2025 को समय 14.58 पर थाना औद्य ौगिक क्षेत्र में मुकदमा वादी विपिन कुमार पाण्डेय ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को धमका कर भगा ले गया

है जिसमें उसके पिता व मामा का सहयोग है। अपीलार्थी के भतीजे AB के विरूद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रयागराज में अपराध संख्या 225/25 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। अपीलार्थी ने अपने भतीजे AB को जोकि कक्षा 12 का संस्थागत छात्र है जिसकी शिक्षा बाधित हो रही है को किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किशोर वय का अपचारी घोषित होने के बाद सुपुर्दगी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । किशोर न्याय बोर्ड ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 22.05.2026 द्वारा निरस्त कर दिया। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 22.05.2026 को पारित करते समय स्वविवेक का इस्तेमाल नही किया और उसके भविष्य का कतई ध्यान नहीं रखा क्योकि अपीलार्थी का भतीजा AB किशोर वय का है। अपीलार्थी अपने किशोर वय भतीजे को अपनी सुपुर्दगी में लेने हेतु अण्डर टेकिंग इस बात की देने को तैयार है कि वह अपने भतीजे को कुसंगत से दूर रखेगा, वह इस प्रकार या अन्य किसी भी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार करते हुये किशोर न्याय बोर्ड प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2026 को निरस्त करते हुये बाल अपचारी को अपीलकर्ता की सुपुर्दगी में देने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया। न्यायालय में उपस्थित वादी मुकदमा द्वारा अपील का विरोध करते हुए आपत्ति प्रस्तुत करके कथन किया है कि सही तथ्य व अपराध के प्रकृति के आधार पर एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं सुनने के पश्चात बोर्ड ने खारिज किया है। बाल अपचारी घोषित होने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा ने दाखिल हलफनामा एवं मार्क सीट एवं बयान में हाई स्कूल के मार्कशीट में दो मार्कशीट दाखिल करायी दोनों को साबित किया, परन्तु यह नहीं बताया कि किस आधार पर वयस्क किशोर की जन्म तिथि बदली गयी अथवा संशोधित की गयी, इसका प्रमाण साक्ष्य में नहीं आया है। इसलिए विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध वादी मुकदमा ने अपील दाखिल की, जिसका अपील सं० 79 सन 2025 है। अपने जमानत प्राथर्नापत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि नाबालिग 183 के तहत निर्दोष साबित नहीं किया है जबकि यौन शोषण के अपराध में यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने मारा पीटा, बलात्कार किया व जान से मारने की धमकी दी। यदि न्यायालय द्वारा जमानत दी जाती है तो जमानत का दुरुपयोग करेगा, अपने माता पिता के साथ पुनः अपराध में लिप्त हो जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में उक्त जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः विपक्षी की क्रिमिनल अपील प्रार्थना पत्र/जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट /वादी की ओर से उपस्थित प्राईवेट अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा तलबशुदा किशोर न्याय बोर्ड की जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

5. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 22.5.2026 के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामाजिक अन्वेषण आख्यानुसार, किशोर की पारिवारिक स्थिति सामान्य है। किशोर को कठोर पारिवारिक वातावरण में रखना उसके सुधारात्मक भविष्य में सहायक होगा। किशोर के सम्बन्ध में पास पड़ोस से मिलीजुली प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। किशोर के पिता मजदूरी करते है, व माता जी का स्वर्गवास हो गया है, वर्तमान में किशोर के पिता, किशोर के संरक्षक है। प्रकरण में पीडिता के साथ अश्लील हरकत व छेडखानी का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। किशोर की लगातार काउसिंलिंग किशोर के भावनात्मक सन्तुलन को सामान्य करने में सहायक होगी। वर्तमान में किशोर इण्टर पास छात्र है, किशोर के शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखना उसके सुधारात्मक भविष्य में सहायक होगा, ताकि किशोर भविष्य में ऐसी घटनाओं में शामिल न हो, की प्रविष्टि की गयी है। इसके अतिरिक्त थाने से प्राप्त सामाजिक पृष्ठभूमि आख्या अपराध में बालक की तथाकथित भूमिका के बाबत बालक मुकदमा उपरोक्त में नामजद है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि ''मामले में किशोर द्वारा पारिवारिक परिवेश व नियंत्रण में रहकर घटना को कारित किया गया है। किशोर को पुनः ऐसे वातावरण में भेजने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है जहां किशोर की आपराधिक मानसिकता उत्पन्न हुयी है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किशोर के सर्वोत्तम हित में बोर्ड की सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमानत / सुपुर्दगी प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया गया है।

6. संलग्न केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि अपीलार्थी के भतीजे पर वादी मुकदमा की अवयस्क पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने और बलात्कार/लैंगिक प्रहार करने का आक्षेप अभिकथित है।

7. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकित 08.05.2026 द्वारा विधि विरुद्ध बालक को किशोर घोषित किया गया है।

8. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित तीन परिस्थितियां यदि नहीं है तो किशोर अपचारी की जमानत निरस्त नहीं की जायेगी। उक्त तीन परिस्थितियां इस प्रकार हैं–

क– जमानत पाने पर यह सम्भावना हो कि अभियुक्त किन्हीं ज्ञात अपराधियेां के सानिध्य में आयेगा।

ख– जमानत पाने पर किशोर नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक खतरे में आच्छन्न होगा।

ग– जमानत देने से न्याय का उद्देश्य विफल होने की संभावना होगी।

9. विधि व्यवस्था **Kabutar @ IndrABen Singh vs state of U.P. JIC 593 (Allahabad High Court)** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सम्प्रेक्षण किया गया कि किशोर अपचारी के मामले में अपराध की गम्भीर प्रकृति निर्णायक घटक नहीं होता है। किशोर अपचारी को जमानत दिया जाना आवश्यक है जब तक कि इस बात के युक्तिसंगत कारण न हों कि उसको जमानत पर रिहा किये जाने पर उसके किसी ज्ञात व अज्ञात अपराधियों के सम्पर्क में आने की संभावना होगी अथवा वह नैतिक, भौतिक व मनोवैज्ञानिक खतरे से अनावृत होगा या उससे न्याय का उददेश्य विफल होगा।

10. विधि व्यवस्था **Jitendra Vs. State of U.P 2014(3) ACR 3032 Allahabad High Court** के मामलें में अवर न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी की जमानत खारिज की गई थी। उदद्यृत मामलें में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किशोर अपचारी को इस आधार पर जमानत दी गई थी कि अभियोजन अज्ञात अपराधी का नाम जिसके संपर्क में किशोर अपचारी के आने की संभावना होगी, बताने में विफल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस मामलें में सम्प्रेक्षण किया गया कि किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट को इस परिकल्पना पर किशोर की जमानत खारिज नही करना चाहिये था कि वह जमानत पाने पर अपराधियों के सम्पर्क में आयेगा।

11. पत्रावली पर संलग्न सामाजिक अन्वेषण आख्यानुसार बालक के मित्रों के प्रति अभिवृत्ति सामान्य व बालक के प्रति मित्रों की अभिवृत्ति सामान्य बताई गई है। जॉच के दौरान बालक का परिवार एवं पास पड़ोस से सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। किशोर अपचारी को बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकितः 08.05.2026 के माध्यम से किशोर घोषित किया गया और कथित घटना के समय उसकी उम्र–16 वर्ष 3 माह 13 दिन होना निर्धारित की गई है।

12. जिला प्रोबेशन अधिकारी की आख्या में किशोर के आपराधिक इतिहास व पूर्व दोषसिद्धि के संबध में कोई तथ्य अंकित नही किया गया है, न ही यह बताया गया कि किशोर अमुक अपराधियों की संगति में है तथा जमानत पर छूटने पर पुनः उनके संगत में पहुॅच जायेगा। उक्त आख्यानुसार किशोर की पारिवारिक स्थिति सामान्य है, किशोर को कठोर पारिवारिक वातावरण में रखना उसके सुधारात्मक भविष्य में सहायक होगा। किशोर के सम्बन्ध में पास पड़ोस के सामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त हुयी है। किशोर की शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखना उसके सुधारात्मक भविष्य में सहायक होगा। किशोर न्याय बोर्ड का यह विचार कि किशोर को जिस परामर्श की आवश्यकता है वह परामर्श प्रत्यक्ष तौर पर सुधारात्मक गृह द्वारा ही प्रदान किया जा

सकता है, युक्तिसंगत प्रतीत नही होता है, क्योंकि बालक के सुधार के अनेक आयाम होते है जिसमें परिवार का सानिध्य एवं सहयोग बालक के सुधार में सबसे प्रभावी माध्यम होता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **ईश्वर उर्फ रामभवन बनाम उ.प्र.राज्य व अन्य फौजदारी रिवीजन नंबर 3367 सन 2007(2009)65 ए.सी.सी. 327, पिन्टू गुप्ता उर्फ प्रियरंजन जायसवाल व अन्य फौजदारी रिवीजन नंबर 1592 सन 2008 (2009)67 ए.सी.सी. 460 एवं जसवंत कुमार सरोज बनाम उ.प्र.राज्य फौजदारी रिवीजन नंबर 584 सन 2007 (2008)63 ए.सी.सी. 190** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अपराध की गंभीरता किशोर को जमानत पर अवमुक्त न किये जाने का आधार नही हो सकती है।

13. अतः उपरोक्त विवेचना, किशोर न्याय अधिनियम में प्रावधानित प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उल्लिखित विधि व्यवस्था में पारित विधि सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुये, इस न्यायालय का यह अभिमत है कि विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दिया गया निष्कर्ष आशंका पर आधारित है, जिसके पीछे कोई ठोस आधार नही है। प्रश्नगत आदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की मंशा एवं विधि के अनुरूप नहीं है न ही सामाजिक जॉच आख्या से समर्थित है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुये, विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकितः 22.5.2026 अपास्त कर बाल अपचारी को, अपीलार्थी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अपीलार्थी रिंकू की ओर से प्रस्तुत आपराधिक अपील संख्या–97/2026 स्वीकार की जाती है।

थाना औद्योगिक क्षेत्र, प्रयागराज के मामलें में बाल अपचारी 'AB' की सुपुर्दगी के संबध में, उसके नैसर्गिक संरक्षक चाचा/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दगी प्रार्थनापत्र पर विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांकितः 22.5.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, प्रयागराज की संतुष्टि पर बाल अपचारी 'AB' को उसके चाचा/अपीलार्थी रिंकू द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू एवं निम्न शर्तो के बाबत परिवचन पत्र प्रस्तुत करने पर उसके सुपुर्दगी में मुक्त किया जाता है–:

1. बाल अपचारी को सुपुर्दगी में मुक्त होने के पश्चात, अपीलार्थी उसे अपने संरक्षण में रखेगा। उसे ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधियों की संगत में नही जाने देगा,

उसका सामाजिक, नैतिक व भौतिक पतन होने से बचायेगा।

2. बाल अपचारी की आगे की शिक्षा को जारी रखेगें तथा उसकी समुचित तरीके से देखभाल करेगा।

3. विद्वान किशोर न्याय बोर्ड, अथवा सक्षम न्यायालय प्रयागराज के आदेश पर किशोर को बोर्ड के समक्ष पेश करेगा।

4. दौरान विचारण/जॉच अपीलार्थी अथवा उसके परिजन प्रकरण के गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नही।

5. गवाह के उपस्थित आने पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से गवाह से जिरह की कार्यवाही में भाग लेगा।

6. इस निर्णय की एक प्रति जिला प्राबवेशन अधिकारी प्रयागराज एवं थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र को इस आशय से प्रेषित की जाये कि वह समय–समय पर अथवा कम से कम मासिक स्तर पर जॉच कार्यवाही (विचारण) की कार्यवाही समाप्त होने तक स्वः विवेकानुसार यह सुनिश्चित करें कि पीड़ित बालक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का क्षतिकारक वातावरण उत्पन्न न हो, एवं जमानत पर अवमुक्त किये गये विधि विरूद्व बालक के सुधार के संबध में भी अपनी आख्या संबधित न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगें।

निर्णय/आदेश की एक प्रति सहित, मूल पत्रावली, किशोर न्याय बोर्ड प्रयागराज को वापस भेजी जाये।

दिनांक– 11.08.2026

(अंजू कनौजिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो अधिनियम) क.सं.2, प्रयागराज।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 1756

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके, खुले न्यायालय में, सुनाया गया।

दिनांक–11.08.2026

(अंजू कनौजिया)
अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश
(पाक्सो अधिनियम) क.सं.2, प्रयागराज।
जे0ओ0 कोड यू0पी0 1756

Digitally signed by ANJU KANAUJIA
Date: 2026.08.17 15:31:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court